राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं.– 381/2022 GCMS No. 2022/587

1. देशराज पुत्र सत्यवीर उम्र 44 साल जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
2. राजवीर पुत्र सत्यवीर उम्र 38 साल जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रार्थीगण

ब–ना–म

1. बलवान पुत्र प्रभुदयाल उम्र 48 साल जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
2. ओमवीर पुत्र जगदीश प्रसाद उम्र 37 साल जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

.........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

:: निर्णय :: दिनांक 19–12–2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम खान्दवा तहसील बुहाना स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता सं. 349 के ख.नं. 426 रकबा 2.27 है. भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थी सं. 1 का 163219/1316600 हिस्सा है व प्रार्थी सं. 2 का 163219/1316600 हिस्सा है शेष हिस्सा अप्रार्थीगण का है। उक्त वर्णित भूमि में उत्तर में आम सड़क खान्दवा से महेन्द्रगढ़ को जाने वाले स्थित है जिसका अभी तक विधिवत् रूप से बंटवारा नहीं हुआ है अप्रार्थी सं. 1, 2 बिना विभाजन करवाये जबरन सड़क के नजदीक की भूमि पर निर्माण कार्य कर रहे हैं तथा निर्माण सामग्री डाल रहे हैं प्रार्थीगण ने जब इनको मना किया जो अप्रार्थी सं. 1, 2 प्रार्थीगण के साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया तथा कहा कि जबरन लठ के बल पर कब्जला करके निर्माण करेंगे। जबकि उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी की है बिना विभाजन करवाये उनको निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि अप्रार्थी सं. 1, 2 जबरन सड़क के पास निर्माण कर लेते हैं तो प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। इसलिए प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वाके ग्राम खान्दवा तहसील बुहाना स्थित के खाता सं. 349 के ख.नं. 426 रकबा 2.27 है. पर जब तक प्रार्थना पत्र का अंतिम रूप से निर्णय ना हो तब तक किसी प्रकार का निर्माण ना करें तथा ना ही कोई निर्माण सामग्री डालें। ऐसा ना स्वयं करें तथा ना ही अपने रिश्तेदार, मित्रों आदि से करावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:45:37 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को अस्वीकार कर कथन किया है कि वादी सं. 1 व 2 ने अनावेदक सं. 2 के हक में दिनांक 05.11.2019 को भूमि खसरा नंबर 426 रकबा 2.27 है. में 0.11 है. रकबा का जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बेचान कर दिया है एवं विक्रय मूल्य की सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर ली है तथा वादी सं. 1 व 2 ने दिनांक 05.11.2019 को कृष्ण कुमार पुत्र श्री प्रभुदयाल जाति अहीर निवासी खान्दवा के हक में ख.नं. 426 रकबा 2.27 है. में से 0.1358 है. रकबा का बेचान कर दिया। अनावेदक सं. 2 एवं कृष्ण कुमार ने अपने खरीद शुदा रकबे पर काबिज है। इस प्रकार आवेदकगण ने गलत रूप से अपना हिस्सा 163219/1316600 होना गलत दर्ज किया है। अनावेदक सं. 2 एवं कृष्ण कुमार ने अपने खरीद शुदा रकबा पर कब्जा कर चार दीवारी का निर्माण का लिया है एवं उनका कब्जा खरीदशुदा एवं खातेदारी के आधार पर है आवेदकगण ने बेईमानीपूर्वक यह कही भी दर्ज नहीं किया कि उन्होंने अपने नाम दर्ज रकबे का बेचान किया है। इसलिये वे कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते है। भूमि खसरा नंबर 426 में काफी हद तक निर्माण हो चुका है। इसलिए यह आवेदन पत्र गलत पेश किया है जो खारिज योग्य है। आवेदकगण स्वयं विक्रेता है एवं अपने क्रेता के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्हें कोई वाद हेतुक पैदा नहीं होते है इसलिए आवेदकगण का आवेदन पत्र खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075-2078 खाता सं. 349 ग्राम खान्दवा का अवलोकन किया गया। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। उक्त वादग्रस्त भूमि का विधिवत् रूप से खाता विभाजन नहीं हुआ है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 05.11.2019 को कृष्ण कुमार पुत्र श्री प्रभुदयाल जाति अहीर निवासी खान्दवा को अपने 74/174 भाग में से 1358/22700 भाग का बेचान कर दिया है जो पत्रावली पर उपलब्ध फोटो विक्रय पत्र से साबित है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ है। वादग्रस्त भूमि का विधिवत् खाता विभाजन नहीं होने के कारण पक्षकारान/खातेदारान के कब्जे काश्त की स्थिति स्पष्ट नहीं है। वाद में वर्णित अनुतोष का निर्धारण विस्तृत साक्ष्य एवं रिकॉर्ड के आधार पर किया जाना उचित होगा। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में विचारणीय बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होते हैं। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं हो रहा है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 19-12-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.04 13:45:37 IST
Reason: SelfAttested